

## राजस्थान सरकार

## कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/18-19/31780-92 दिनांक : 19/8/19

परियोजना अधिकारी  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
बांसवाडा/उदयपुर।विषय : गुड गवर्नेन्स संबंधित कार्य की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 35876-85/05-10-2018 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

## कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

क्र.स.	कार्य विवरण	पं.स.	(राशि लाख रु. में)			
			प्रशा. स्वी.		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र./दि.	राशि	क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रा.उ.प्रा.वि. हेजा भोगजी चारदीवरी निर्माण ग्राम सज्जनगढ	सज्जनगढ	35876-85/05-10-2018	5.00	21/05-03-2019	5.00
2	रा.उ.प्रा.वि. देवाली चारदीवरी निर्माण, चौक ग्रा.पं.देवाली	गिर्वा		4.00	2/11-06-2019	4.00
			योग	9.00		9.00

उपरोक्त कार्य हेतु राशि रु. 9.00 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-60/16-17 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

## शर्तें:-


- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही किया जावे। तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। निविदा आदि कारणों से कार्य में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले), I.A.S  
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/18-19/31780-92 दिनांक : 19/8/19  
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा/उदयपुर।
4. प्रधान/विकास अधिकारी, पंचायत समिति सज्जनगढ जिला बांसवाडा/पंचायत समिति गिर्वा जिला उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-60/16-17 जयपुर दिनांक 09.08.2018 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि में से राशि रु. 5.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा एवं राशि रु. 4.00 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को हस्तांतरित करे।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

  
 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)  
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
 उदयपुर (राज.)